

राजस्थान विधान सभा

द्वितीय सत्र

कार्य-सूची

गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2014

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनार्ये

श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उपनिवेशन एवं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

उपनिवेशन विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(27)उप/1984 दिनांक 17 जून, 2014 जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.9.2008 एवं 30.9.2011 के क्रम में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-13-क की उपधारा-(1) के अन्तर्गत भूमि की अन्तरणों की विधि मान्यकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि दिनांक 31.12.2014 तक बढ़ाई गई है ;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(06)उप/2010 दिनांक 23 जून, 2014 जिसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, भाखड़ा नहर क्षेत्र एवं गंग नहर क्षेत्र के अस्थायी काश्तकारों (टीसी लीज होल्डर्स) को टीसी पर आवंटित भूमि को नियमानुसार पुख्ता आवंटन करने के लिये छूट हेतु जारी निर्देश की अवधि को दिनांक 31.5.2011 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2014 किया गया है ; एवं
3. अधिसूचना संख्या: एफ.3(151)उप/1997 दिनांक 18 जून, 2014 जिसके द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 19.5.2006 की शर्तों के अध्याधीन तहसील पूगल, जिला बीकानेर में दिनांक 24 सितम्बर, 1990 को आवंटित की गई भूमि के नियमितीकरण/खातेदारी अधिकार की अवधि को सशर्त दिनांक 30.6.2006 से बढ़ाकर 31.12.2014 तक किया गया है।

राजस्व विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.9(112)राज-6/2012/1 दिनांक 10 फरवरी, 2014 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-260 एवं धारा-135 के अन्तर्गत एवं अधिसूचना संख्या: एफ.5(21)राज-4/80/35 दिनांक 4 सितम्बर, 1982 के तहत नामान्तरण के मामलों को भरतपुर संभाग में ग्राम पंचायत की शक्तियाँ ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई हैं, जो दिनांक 10.2.2014 से 19.2.2014 तक प्रभावी रहेंगी ;

जारी..2..

2. अधिसूचना संख्या: एफ.16(1)राज-6/2004/2 दिनांक 10 फरवरी, 2014 जिसके द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्य का मनोनयन निरस्त किया गया है ;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.16(1)राज-6/2004/3 दिनांक 19 फरवरी, 2014 जिसके द्वारा भू-आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत जिलों में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आवंटन सलाहकार समिति में पूर्व में किये गये सभी गैर- सरकारी सदस्यों का मनोनयन तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर किया गया है ;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(5)राज-6/2010/पार्ट/4 दिनांक 9 अप्रैल, 2014 जिसके द्वारा राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-दान मंडल के गठन हेतु सचिव एवं कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया है ;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.6(25)राज-6/14/5 दिनांक 16 जून, 2014 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य लोकोपयोगी निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन) नियम, 1963 के नियमों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित भूमियों को छोड़कर शेष किस्म की भूमियों का आवंटन राजकीय विभागों को नियम-4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कर सकेगा ; एवं
6. अधिसूचना संख्या: एफ.9(112)राज-6/2012/6 दिनांक 16 जून, 2014 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-260 एवं धारा-135 के अन्तर्गत नामान्तरण के मामलों में बीकानेर संभाग में ग्राम पंचायत की शक्तियाँ ग्राम पंचायतों के स्थान पर तहसीलदार को दी गई हैं, जो दिनांक 19.6.2014 से 15.7.2014 तक प्रभावी रहेंगी।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

- (1) श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखेंगे।
- (2) श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे :-
 - I- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 (2) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 ;
 - II- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-2013 ; एवं
 - III- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

3. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री रामेश्वर लाल झडी, सभापति, जनलेखा समिति, 2014-2015 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1. जनलेखा समिति, 2011-12 के 112वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का प्रथम प्रतिवेदन।
2. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट युवा मामले एवं खेल तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 2.3 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का द्वितीय प्रतिवेदन ।
3. सी.ए.जी.प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 3.2.5 एवं 3.2.6 तथा श्रम एवं नियोजन विभाग से संबंधित वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद संख्या 3.4.2 से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का तृतीय प्रतिवेदन ।
4. जनलेखा समिति, 2012-13 के 200वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का चतुर्थ प्रतिवेदन ।
5. जनलेखा समिति, 2012-13 के 218वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का पंचम प्रतिवेदन ।
6. जनलेखा समिति, 2012-13 के 197वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का षष्ठम प्रतिवेदन ।
7. जनलेखा समिति, 2011-12 के 125वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 7वाँ प्रतिवेदन ।
8. जनलेखा समिति, 2006-07 के 193वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 8वाँ प्रतिवेदन ।
9. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 9वाँ प्रतिवेदन ।
10. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 10वाँ प्रतिवेदन ।
11. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 11वाँ प्रतिवेदन ।

4. याचिकाओं का उपस्थापन

- I- श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्षेत्र की कॉलोनी बॉम्बे योजना में मूलभूत सुविधाओं-पेयजल, सीवरेज, सीसी सड़क, रोड़ लाईट की स्थापना हेतु एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।
- II- श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा, प्रत्येक परिवार को अपने आवास में शौचालय निर्माण करने हेतु सरकारी मदद बाबत एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

5. परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015

प्रथम अवस्था

अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद

राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

तौफीक हुसैन हाशमी
उप सचिव (सामान्य)

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 16 जुलाई, 2014